UPMH010011632025

न्यायालय अपर ज़िला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, महराजगंज।

उपस्थित– संजय मिश्र, उच्चतर न्यायिक सेवा, UPID - 6257

प्रकीर्ण सिविल अपील सं0–07/2025

1–सुदामा उम्र 55 साल पुत्र भागीरथी
2–सुग्रीव उम्र 50 साल पुत्र भागीरथी
समस्त साकिनान मौजा व पोस्ट कोल्हुई, तप्पा–लेहड़ा, परगना–हवेली, तहसील–फरेन्दा, जिला–महराजगंज।

..................वादीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1–रामराज वउम्र 65 साल पुत्र बेचू
2–श्रीमती दुलारी उर्फ कोईली वउम्र 66 साल पत्नी रामराज
3–श्रीमती उर्मिला व उम्र 38 साल पत्नी रोहित
4–हेमन्त व उम्र 10 साल पुत्र रोहित
संरक्षिका उर्मिला देवी माता हकीकी
5–प्रियंका व उम्र 14 साल पुत्री रोहित
समस्त साकिनान मौजा पैसिया ललाईन, तप्पा–लेहड़ा, परगना–हवेली, तहसील–फरेन्दा, जिला–महराजगंज।

.........प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण

निर्णय

01. प्रस्तुत दीवानी अपील अपीलार्थीगण **सुदामा एवं सुग्रीव** द्वारा धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विद्वान सिविल जज, (अवर खण्ड), फरेन्दा, जिला महराजगंज द्वारा मूल वाद संख्या–445/1994, सुदामा आदि बनाम भानमती आदि में पारित आदेश दिनांकित 04.03.2025 से क्षुब्ध होकर दाखिल की गयी है। अपीलार्थीगण उक्त मूलवाद के वादीगण हैं और उक्त आदेश के द्वारा उनका दावा निरस्त कर दिया गया।

02. वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह अभिवचन किये गए हैं कि: "स्व. मुसई वादीगण के रिश्ते में बड़े पिता थे, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गयी है। मुसई लावल्द थे, स्व. भानमती (मृतक दौरान मुकदमा) स्व. मुसई की पत्नी थी, जो वादीगण की सगी बड़ी मां थी। यह कि श्रीमती भानमती का एक भाई गुलाबदास है, जो साधू है और उसी का चेला बेचू है, बेचू का लड़का रामराज प्रतिवादी संख्या–02

तथा रामराज का लड़का रोहित प्रतिवादी संख्या–04 है। यह कि गुलाबदास जो श्रीमती भानमती का सगा भाई है, मृतक मुसई की जायदाद कपटपूर्ण ढंग से हड़पने की गरज से एक कुचक्र किया और अपने चेला बिरजू के नाती रोहित व श्रीमती भानमती के साजबाज से एवं दिखावटी व नुमाइश गोदनामा दिनांक 16–05–1994, जिसका पंजीकरण नुमाइशी तौर पर धोखा देकर छल तथा कपट का सहारा लेकर व साजिशन कराया गया है, मात्र दिखाने का तहरीर करवाया ताकि वह मृतक मुसई की जायदाद का रोहित के माध्यम से खुद मालिक बन सके। यह कि मुसई वादीगण को अपने चल व अचल सम्पत्ति बजरिए वसीयत रूबरू गवाहान दे दिए थे, वैसे भी हम वादीगण का नाम बतौर वारिस कागजात सरकारी से वरासतन दर्ज हो चुका है और विवादित जमीन पर कब्जा दखल भी हो चुका है। प्रतिवादीगण का हरगिज कब्जा दखल नहीं है। यह कि मृतक मसुई को प्रतिवादी संख्या–04 रोहित को गोद लेने के कोई आवश्यकता नहीं रही। कराण मृतक मुसई वादीगण को लड़के की तरह खुद मानते व जानते रहे और हम वादीगण मृतक मुसई के पिता तुल्य मानते और जानते रहे और उनकी सेवाजतन करते रहे। रोहित प्रतिवादी संख्या–04 न तो वादीगण व मुसई के खानदान का है और न तो रिश्तेदारी में ही आता है, इसलिए बाहरी व्यक्ति को गोद लेने का सवाल ही नहीं उठता। दिनांक 16–05–1994, जिसका पंजीकरण नुमाइशी तौर पर धोखा, छल तथा कपट का सहारा लेकर व साजिश कराया गया है, कथित गोदनामा मात्र नुमाइशी है और उसके पीछे मृतक मुसई की जायदाद हड़पने की साजिश है। रोहित प्रतिवादी संख्या–04 मृतक मुसई का हरगिज दत्तक पुत्र नहीं है और न तो भानमती को मृतक मुसई के साथ रोहित प्रतिवादी संख्या–04 को गोद लेने का कोई अधिकार ही प्राप्त था। यह कि गोद लेने की कोई औपचारिकता गांव में नहीं पूरी की गयी और न तो उससे संबंधित कोई पूजा–पाठ गांव पर ही किया गया। यहां तक कि गोद लेने व गोद में लेने की कार्यवाही ही गांव के किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं की गयी। यह कि श्रीमती दुलारी व राजाराम प्रतिवादीगण मौजा पैसिया ललाइन, तप्पा–लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील–नौतनवा, जनपद महराजगंज के मूल निवासी है, जिनसे कोई भी रिस्ता अथवा संबंध मृतक मुसई अथवा वादीगण से कभी नहीं रहा और न तो उनसे कोई जान–पहचान ही था। मृतक मुसई कभी भी गोद लेने की बात न तो सोचे थे, और न तो किए थे। मृतक मुसई कभी किसी व्यक्ति को गोद लेने की इच्छा भी जाहिर नहीं किए। यह कि गवाहान गोदनामा भी वादीगण के गांव के नहीं है, बल्कि अन्य गांव के और गुलाबदास के आदमी है और चेला है जो बसाजिश गुलाबदास झूठी गवाही किए है। प्रतिवादी रोहित हरगिज मुसई का का दत्तक पुत्र नहीं है और न तो हो सकता है। चूंकि प्रतिवादीगण अब विवादित जमीन पर अपना हक तथा कथित नुमाइशी गोदनामा के बल पर प्रतिवादी संख्या–04 को मृतक मुसई का दत्तक पुत्र बताकर अपना हक व अधिकार बताना शुरू कर दिए है तथा तहसील फरेन्दा में दाखिल खारिज की कार्यवाही शुरू कर दिए है और दिनांक 02–08–1994 को जमीन विवादित पर कब्जा करने की कोशिश में किए, इसलिए दावा

दाखिला जरूरी हो गया है। मृतक श्रीमती भानमती पत्नी मुसई जो रिश्ते में हम वादीगण की बड़ी मां लगती थी, वादीगण के साथ रहती रही और हम वादीगण श्रीमती भानमती का सेवा–जतन, देखभाल, खाना–पीना का प्रबन्ध किया करते थे, श्रीमती भानमती हम वादीगण की सेवा– जतन से खुश होकर अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति का एक पंजीकृत वसीयतनामा रूबरू गवाहान दिनाक 22–05–2012 को अपने खुशी मन से तहरीर कर दी, श्रीमती भानमती का स्वर्गवास दिनांक 04–08–2013 को हो गयी, जिनका दाह–संस्कार, क्रिया–कर्म, ब्रह्मभोज, पिण्डदान, हम वादगीण द्वारा ही किया गया। विवादित आराजी से मृतक प्रतिवादी संख्या–04 रोहित के किसी भी किस्म का कोई वास्ता सरोकार व कब्जा दखल और न मृतक प्रतिवादी संख्या–04 रोहित के उक्त वारिसान से भी विवादित आराजी से किसी भी किस्म का कोई वास्ता सरोकार न तो था, न तो है और न ही रहेगा। वाद का कारण आधार तथाकथित नुमाइशी गोदनामा तथा बादहू दाखिल खारिज की कार्यवाही करने और दिनांक 02–08–1994 को जमीन विवादित पर कब्जा करने पर व मुकाम मौजा–कोल्हुई, तप्पा–लेहड़ा, परगना–हवेली, तहसील–फरेन्दा, जिला महराजगं के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पैदा हुआ।"

03. प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत वाद में प्रतिवाद पत्र कागज संख्या–33 क /1 ता 33 क / 9 प्रस्तुत करते हुए वादीगण के वाद पत्र के कुछ कथन को स्वीकार किया है एवं कुछ कथन को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया गया है कि यह कि दावा खिलाफ कानून व असलियत के है, इसलिए हर आईने अस्वीकार किए जाने योग्य है। यह कि दावा किसी भी सूरत में पोषणीय नहीं है। यह कि स्व. मुसई के पास कोई लड़का या लड़की नहीं थी, हिन्दू धर्मानुसार अंतिम संस्कार के चिन लड़का का होना आवश्यक है, इसलिए स्व, मुसई ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पत्नी श्रीमती भानमती से राय मशविरा करके श्रीमती भानमती के सगे भतीजे रामराज के रोहित नाबालिग को गोद लेने का प्रस्ताव रोहित के माता–पिता प्रतिवादीगण संख्या–02 व 03 अर्जी दावा के समक्ष रखा था, प्रतिवादी संख्या–02 व 03 ने मुसई द्वारा एवं रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उक्त प्रस्ताव के मुताबिक श्री मुसई ने अपनी श्रीमती भानमती की सहमति से विधिवत सारे धार्मिक संस्कार को पूरा करते हुए रोहित को गोद ले लिया और उक्त आशय का एक रजिस्टर्ड दस्तावेज बतौर प्रमाण पत्र दिनांक 16–05–1994 को तहरीर कर दिया, जिस पर स्व. मुसई व श्रीमती भानमती तथा रोहित नावालिग के माता– पिता श्रीमती दुलारी– रामराज का फोटो भी लगा दिया है और गोद लेने की तारीख से रोहित नावालिग मुसई के घर बतौर लड़का रह कर भरण–पोषण करने लगा और इस प्रकार रोहित नावालिग विधिवत गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र मुसई है। यह कि वादीगण बहुत ही चालाक व फरेबी तथा मुकदमेबाज किस्म के व्यक्ति हैं प्रतिवादी संख्या–01 की मजबूरी, बुढ़ापा तथा गांवार– अनपढ़ व केवल घर–गृहस्थी करने वाली औरत होने का नाजायज फायदा

उठाकर बाद मृत्यु मुसई संबंधित हल्का लेखपाल रमेशचन्द्र को अपने साजिश में अपना जरिए प. क. 11 के वरासत दर्ज करा लिया, जो सरासर गलत है, जब उक्त बात जरिए प. क– 11 क के नाम दर्ज कराने की जानकारी प्रतिवादी संख्या–01 को हुई तो संबंधित राजस्व अधिकारियों ने यहां दर्ख्वास्त देती रही उक्त में श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय के आदेशानुसार श्रीमती तहसीलदार महोदय फरेन्दा ने राजस्व निरीक्षक से जांच कराया जांच रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का नाम जरिए प. क. 11 जो दर्ज किया गया है, त्रुटिपूर्ण पाया गया, जिसे अपने आदेश दिनांक 04–08–1995 के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय फरेन्दा के निरस्त कर दिया और आराजी संख्या–225, रकबा 0.559 हे. पर पंजीकृत गोदनामा के आधार पर रोहित नावालिग सरक्षिका श्रीमती भानमती का नाम अंकित करने का आदेश दिया, परन्तु चूंकि गांव चबकन्दी प्रक्रियां जेरे कार्यवाही है, इसलिए उनके आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, क्योंकि गांव में अभी फार्म नम्बर–05 नहीं मिला है। उक्त आदेश की प्रति संबंधित चकबन्दी अधिकारी को तहसीलदार महोदय भेज दिया है। यह कि दिनांक 01–11–1995 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय फरेन्दा आदेशानुसार नायब तहसीलदार फरेन्दा मौके पर थानाध्यक्ष कोल्हुई व पुलिस बल के साथ जांच हेतु गए थे, नायब तहसीलदार महोदय ने मौके पर दोनो पक्षों से स्वयं पूछताछ किया हूँ कि सुदामा आदि ने जबरन विवादित आराजी फसल बोया था और लागत लगाया था, इसलिए नायब तहसीलदार ने जायज खर्चा, खाद–पानी, बीज का निकालने के बाद बची फसल को आधा–आधा बांट दिया है और अंतिम निर्णय तक दोनों पक्षों को विवादित आराजी के बोने आदि से मना कर दिया। यह कि श्रीमती भानमती स्व. मुसई की विधिवत विवाहित औरत है और अब बतौर विधिक बेवा मुसई है, चूंकि स्व. मुसई के पास कोई अपना लडका या लड़की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने जीवनकाल रोहित पुत्र रामराज साकिन वैसिया ललाइन, टप्पा–लेहड़ा, परगना–हवेली, तहसील फरेन्दा, जिला महराजगंज को विधिवत गोद लिया है, जो बतौर दत्तक पुत्र मुसई उनके घर पर पालन–पोषण पा रहा है। उक्त कथन अन्तर्गत पैरा– 2 वादीगण केवल स्व. मुसई की जायजाद हड़पने की गरज से किया है, वरन इसमें कोई सत्यता नहीं है, जमुला कथन अन्तर्गत पैरा–02 सरासर है। यह कि वादगण का अन्तर्गत धारा–02 अर्जी दावा का कथन कि गुलाब श्रीमती प्रतिवादिनी संख्या–01 का भाई है, जो साधू है और बेचू उसी का चेला है, बेचू का लड़का रामराज प्रतिवादी संख्या–02 का लड़का है, रोहित प्रतिवादी संक्या–04 है, सरासर गलत है, सही बात यह है कि बेचू हम प्रतिवादिनी संख्या–01 का सगा भाई है, प्रतिवादी संख्या–02 प्रतिवादी संख्या–01 का सगा भतीजा है, जिससे प्रतिवादीगण संख्या–01 का खूनी रिश्ता है। प्रतिवादी संख्या–04 रोहित नावालिग रामराज का लड़का है, इस प्रकार रोहित नवालिग से भी प्रतिवादी संख्या 01 का खूनी रिश्ता है। यह कि जुमला कथन वादीगण अन्तर्गत धारा–04 बिल्कुल गलत व सरासर गलत है। असलियत यह है कि स्व मुसई के कोई सगा लड़का या लड़की नहीं थी, इसलिए स्व. मुसई ने स्वयं अपनी

पत्नी को सहमति से रामराज के नावालिग लड़के रोहित को गोद लेने की दिली इच्छा व्यक्त किया, जिसे रामराज व श्रीमती दुलारी माता पिता रोहित ने सहर्ष स्वीकार कर लिया इसलिए मुसई ने अपने जीवनकाल में ही रोहित गोद लेकर बतौर लड़का पालन–पोषण किया बतौर सबूत एक दस्तावेज रजिस्टर्ड गोदनामा आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरा करते हुए तहरीर कर दिया, जिस पर मुसई श्रीमती भानमती रोहित व रोहित के पूर्व माता–पिता का फोटो लगा है, गोदनामा तहरीर द्वारा मुसई दिनांक 16–05–1994 कतई नुमाईशी नहीं है, बल्कि विधिवत तहरीर किया गया दस्तावेज है, जिसकी कानून की निगाह में अहमियत है। यह कि मुसई ने अपने जीवनकाल में ही रोहित प्रतिवादी संख्या–04 को विधिवत गोद ले लिया था और बतौर लड़का अपने घर पर पालन–पोषण कर रहे थे, इसलिए वादीगण के हक में वसीयत लिखने का कई प्रश्न ही नहीं उठता, जहां तक वादीगण का नाम बतौर वारिस वरासत दर्ज होने का है, वादीगण ने हल्का लेखपाल रमेशचन्द को अपने साजिश में करके करा लिया था, जिसे बाद जांच श्रीमान् तहसीलदार महोदय फरेन्दा ने निरस्त कर दिया और जिस गोदनामा के आधार पर रोहित नावालिग उम्र 11 साल संरक्षिका श्रीमती भानमती का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है, परन्तु चूंकि गांव चकबन्दी प्रक्रिया के अन्दर है, इसलिए अभी उक्त आदेश का क्रियान्वचन नहीं हो पाया है। माननीय तहसीलदार महोदय उक्त आदेश को एक संबंधित चकबन्दी अधिकारी को भी भेज दिया है। यह कि स्व. मुसई लावल्द थे, उसके पास कोई लड़का या लड़की नहीं थी, धर्मानुसार अंतिम संस्कार हेतु लड़के का न होना आवश्यक है, इसी कमी को पूरा करने का लिए एवं अपना आकबत दुरूस्त करने के लिए अंतिम संस्कार में कमी न महसूस हो स्व. मुसई ने अपने जीवनकाल में रोहित को विधिवत गोद ले लिया था। यह कि प्रतिवादी संख्या–04 रोहित नावालिग स्व. मुसई के सगे साले के लड़के का लड़का है स्व. मुसई के पत्नी भानमती प्रतिवादी संख्या–01 के सगे भतीजे का सगा लड़का है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–04 स्व. मुसई का सगा रिश्तेदार है और उसे मुसई द्वारा विधिवत गोद लेने में कोई बाधा कानूनन नहीं है, रोहित दत्तक पुत्र मुसई कई बाहरी व्यक्ति नहीं है। रोहित प्रतिवादी विधिवत स्व. मुसई द्वारा गोद लिया गया दत्तक पुत्र है, इसमें किसी सन्देह की गुन्जाइश नहीं है और चूंकि श्रीमती भानमती विधिवत विवादित स्त्री स्व. मुसई है, और अब बतौर बेवा मुसई है, इसलिए मुसई साथ प्रतिवादी संख्या–04 को गोद लेने का पूरा पूरा अधिकार था तथा गोद लेते समय मुसई को श्रीमती भानमती की सहमति लेना आवश्यक था, खिलाफ इसके जुमला कथन वादीगण अन्तर्गत धारा–09 सरासर गलत व निराधार है। स्व. मुसई ने गोद लेने व देने से संबंधित जितनी भी कार्यवाही धार्मिक व कानून ढंग करना था, सब की औपचारिकता पूरा किया था, परन्तु चूंकि वादीगण ग्राम बभनी में रहते है, इसलिए उनको किसी भी कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। वादीगण ने उक्त कथन के बल अपने कथन में बल पैदा करने व गोदनामा को गलत साबित करने के लिए किया है, वरन इसमें कोई असलियत नहीं है। यह कि मुसई की ससुराल व उसकी पत्नी श्रीमती

भानमती प्रतिवादी संख्या–01 का मायका पैसिया ललाईन, तप्पा– लेहडा, परनाना– हवेली, तहसील–फरेन्दा, जिला महराजंगज में है और रामराज श्रीमती भानमती का सगा भतीजा है। स्व. मुसई का सुपुत्र है और श्रीमती दुलारी रामराज की धर्म पत्नी है। इस प्रकार स्व. मुसई को रिश्ता व संबंध प्रतिवादीगण संख्या–02 व 03 से है, अलबत्ता वादीगण से प्रतिवादी संख्या–02 व 03 को न तो कोई रिश्ता है और न ही कोई संबंध है तथा न हो कोई जान–पहचान है। प्रतिवादी संख्या–02 व 03 खुद ही वादीगण को न तो जानते है औरन ही पहचानते हैं। वादी को स्व. मुसई द्वारा गोद लेने की इच्छा व्यक्ति की जानकारी होने का को प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वादीगण के पास न तो रहते थे और न ही उनसे कोई संबंध ही है। यादीगण अपने भूमिधरी ग्राम बभनी में स्थाई रूप से रहते है। इसलिए उनको सही जानकारी का कोई प्रश्नगत ही नहीं है। वादीगण को दावा हाजा दाखिल करने के कानून कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। दावा वादी में मिस ज्वाईण्डर आफ पार्टी का दोष आरिज है, वादीगण ने बिला कारण प्रतिवादी संख्या–02 व 03 को पक्षकार बनाया है, वरना प्रतिवादी संख्या–02 403 से विवादित आराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। दावा वादी धारा 34 विशेष अनुतोष अधिनियम का मसला आरिज है। यह कि वादीगण बिला कारण हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिला किसी कानूनी अधिकार के केवल हम प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करके स्व. मुसई जायजाद हड़पने की गरज से दावा हाजा दाखिल किया है, इसलिए हम प्रतिवादीगण वादी के खर्चा आम के अलावा खर्चा खास अन्तर्गत धारा 35 ए जी. दी. पाने के मुश्तहक है। यह कि गोदनामा के आधार पर रोहित दत्तक पुत्र स्व. मुसई का नाम स्व. मुसई के स्थान पर दर्ज करने की दर्खास्त गांव में चकबन्दी की कार्यवाही चलने के कारण श्रीमान् तहसीलदार फरेन्दा महोदय ने दिनांक 14–09–1994 को अवेट कर दिया है। बहरहाल हर तौर पर दावा वादीगण निरस्त होने योग्य है।

04. प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल उपरोक्त जबावदेही पर वादीगण द्वारा अपना जबावुलजबाव कागज संख्या–35 क दाखिल करते हुए यह कथन किया गया है कि मृतक मुसई खुद कोई गोद रोहित को नहीं लिए थे और न ही किसी गोदनामा पर अपना निशानी अंगूठा अथवा दस्तख्त या फोटो लगाए थे। कथित गोदनामा पर अगर मृतक मुसई का फोटो लगा है अथवा उनका दस्तख्त या निशानी अंगूठा लगा है, तो वह किसी गैर व्यक्ति का है। वादीगण का नाम आज भी दर्ज कागजात है। कथित गोदनामा के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही चोरी चोरी चलायी जी रही थी, लेकिन बाद जानकारी आपत्ति हुई, चूकि मौजा चकबन्दी में है, इसलिए कार्यवाही उपशमित कर दी गयी है। विवादित आराजी से वादीगण द्वारा कोई फसल वादीगण ही खुद काटे थे और इस बार भी अपने ही फसल बोए हैं, जमीन निजाई पर प्रतिवादीगण का हरगिज कब्जा दखल नहीं है। वादीगण का वसीयतनामा सही है। मृतक मुसई अपने जीवनकाल में हरगिज रोहित को गोद नहीं लिए थे। गोदनामा मात्र नुमाइशी है,

जिसमें गोदनामा से संबंधित कोई शर्त पूरी नहीं की गयी है। दावा वादी में धारा–34 विशेष अनुतोष अधिनियम का हरगिज मसला नहीं बनता और न तो प्रतिवादीगण धारा–34 अजा. दी. के तहत विशेष खर्चा पाने के हकदार है।

05. प्रतिवादी संख्या–4/1 द्वारा अतिरिक्त जबाबदेही कागज संख्या–170 क/1 ता 170 क/ 4 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि तरमीम अर्जी दावा वावत तरमीम दरख्वास्त दिनाक 21. 02. 2023 खिलाफ कानून एवं खिलाफ असलियत है। वादीगण ने दावा तरमीम करके मृतक मुसई को अपना बड़े पिता तथा मृतक भानमती को बड़ी माँ कहा है जबकि वाद पत्र के पैरा–13 अ में मृतक भानमती पत्नी स्व० मुसई को अपनी चाची कहा है, जो दोनों बातो में विरोधाभास है। वादीगण ने मृतक मुसई द्वारा अपने पक्ष में वसीयत तहरीर करने की बात कहते है परन्तु वह वसीयत फर्जी एवं जाली था इसलिए उस वसीयत के आधार पर वरासत न कराकर वादीगण फर्जी तौर पर अपने को विधिक वारिस घोषित करते हुए जरिए प. क. 11 अपना वरासत कराया तथा उसी प. क. 11 के वरासत पर दावा हाजा दाखिल किया जो एकदम फर्जी है, क्योकि वादीगण के कथनानुसार अगर मृतक मुसई की पत्नी जीवित रही है तो अगर गोदनामा न भी लिखा गया होता तो केवल उनकी पत्नी भानमती का ही प. के. 11 से वरासत होना चाहिए था। मृतक भानमती को कभी मृतक मुसई की रखेल कहते है कभी उनको चाची कहते है कभी बड़ी माँ कहते है तथा कभी उनके द्वारा वसीयत लिखाने की बात कहते है अर्थात् वादीगण तरह तरह से झूठा बोलने का प्रयास कर रहे है। मुसई ने अपनी पत्नी श्रीमती भानमती की सहमति से विधिवत सारे धार्मिक संस्कार को पूरा करते हुए रोहित को गोद ले लिए और उक्त आशय का एक रजिस्टर्ड दस्तावेज बतौर प्रमाण पत्र दिनाक 16.05.1994 को तहरीर कर दिया जिस पर मुसई व श्रीमती भानमती तथा रोहित नावालिग के माता पिता दुलारी व रामराज की भी सहमति रही है। दावा हाजा में मृतक श्रीमती भानमती पत्नी स्व० मुसई जो प्रतिवादी संख्या–1 है ने अपना जबाबदावा दाखिल कर दिया है तथा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 16.05.1994 को तहरीर करने की बात स्वीकार किया है। वादीगण ने मृतक मुसई के आराजियात पर मृतक मुसई के दत्तक पुत्र रोहित व मुसई की पत्नी श्रीमती भानमती के जीवित रहते ही फर्जी तरीके से हल्का लेखपाल को अपने साजिश मे करके जरिए प क 11 मुसई की आरांजियात पर अपना नाम बतौर वारिस दर्ज करा लिया। जिसकी जानकारी होने के उपरान्त श्रीमती भानमती ने अपने दत्तक पुत्र रोहित के साथ परगनाधिकारी महोदय को दर्खास्त देकर तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 04.08.1995 को वादीगण का वरासत प. क. 11 निरस्त कर दिया गया तथा आराजी नम्बर 255 रकबा 0.559 हे0 पर पंजीकृत गोदनामा के आधार पर रोहित नावालिग संरक्षिका श्रीमती भानमती का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया परन्तु चकबन्दी प्रकिया में गांव सम्मिलित होने के कारण आदेश का इन्द्राज खतौनी पर नहीं चढ़ पाया और मामला चकबन्दी न्यायालय में

लम्बित हो गया। चकबन्दी अधिकारी अंतिम अभिलेख फरेन्दा महराजगंज में लम्बित वाद संख्या 142/2020–21 तारीख फैसला दिनांक 05.08.2021 को रोहित बनाम सुदामा वगैरह में आदेश हुआ कि ग्राम कोल्हुई के आधार वर्ष खाता संख्या 323, के अंकित खातेदार सुदामा व सुग्रीव पुत्रगण भागीरथी निवासी ग्राम का नाम खारिज होकर पंजीकृत गोदनामा जो दिनांक 24.05.1994 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है के आधार पर खातेदार मुसई पुत्र कल्लू निवासी ग्राम के स्थान पर रोहित दत्तक पुत्र मुसई निवासी ग्राम का नाम दर्ज होकर मृतक होने के कारण खारिज होकर पुत्री प्रियंका उर्फ प्रियंश व पुत्र हेमन्त नावालिग आयु कमशः 10 वर्ष व 6 वर्ष संरक्षिका माता स्वयं उर्मिला पत्नी रोहित तथा उर्मिला पत्नी रोहित बतौर वारिस संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। सी०ओ० चकबन्दी महोदय के आदेश हाजा से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी सुदामा वगैरह ने न्यायालय उप संचालक चकबन्दी महराजगंज की अदालत में निगरानी संख्या–415/2022 सुदामा आदि बनाम उर्मिला आदि दिनांक 07.08.2021 को दाखिल किया जो न्यायालय उपसंचालक चकबन्दी महराजगंज द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 24.06.2022 को सुदामा आदि की निरगानी को खारिज कर दिया तथा चकबन्दी अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया। विवादित आराजियात पर मृतक रोहित के नावालिग बच्चे हेमन्त व प्रियंका तथा उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जो बजरिए जोत जरायत काबिल दखिल है। दावा वादीगण हर सूरत हर आइने लायक खारिजी के है। प्रतिवादी संख्या–04 द्वारा अतिरिक्त जबावदेही कागज संख्या–83 क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा–1 मे श्रीमती भानमती को मुसई की औरत होना स्वीकार नहीं किया है और यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि श्रीमती भानमती की शादी मुसई से नहीं हुई, अर्थात भानमती मुसई की रखैल थी, परन्तु पुनः तरमीम के माध्यम से भानमती की मृत्यु के बाद उन्हे मृतक मुसई की पत्नी तथा अपनी सगी चाची होना स्वीकार कर रहे है, जिससे यह साबित हो रहा है कि वादीगण पूर्णतः फरेबी व्यक्ति है तथा झूठ फरेब के आधार पर दावा दाखिल किए है। मुसई व उनकी पत्नी श्रीमती भानमती प्रतिवादी संख्या–01 खुशीमन से स्वस्थ चित्त होकर जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 16.05.1994 को रोहित प्रतिवादी संख्या–04 को गोदनामा लिया है। दिनांक 16.05.1994 से ही मुताबिक रजिस्टर्ड गोदनामा प्रतिवादी संख्या–04 मुसई व भानमती का दत्तक पुत्र है और तभी से उन लोगो के साथ बतौर दत्तक पुत्र रहता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या–04 को दत्तक ग्रहण करने के उपरान्त मुसई उपरोक्त की दिनांक 28.05.1994 को मृत्यु हो गयी और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या–04 श्रीमती भानमती के साथ बतौर दत्तक पुत्र रहते चले आ रहे है, और श्रीमती भानमती ने एक जबाबदावा दिनांक 11.01.96 में प्रतिवादी संख्या–04 को अपने पति मुसई व स्वयं भानमती द्वारा दिनांक 16.05.1994 को गोद लेने के बारे मे जबाबदेही के पैरा 17 में स्पष्ट तौर पर लिखा है। दिनाक 28.05.1994 को मुसई के मृत्यु के उपरान्त

प्रतिवादी संख्या–04 मुसई के सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति पर बतौर दत्तक पुत्र मालिक व स्वामी व काबिज दखिल हो गया और तभी से काबिज दखिल चला आ रहा है। मुसई के मुत्यु के समय पति के अचल सम्पत्ति का कानूनी वारिस पत्नी के होने का प्रावधान नहीं था केवल पुत्र ही कानूनी वारिस होता है। इसलिए उनके सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का मालिकै व स्वामी उनका दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या–04 ही हुआ। भानमती के नाम से कोई अचल सम्पत्ति नही रही है और न ही भानमती ने दिनांक 22.05.2012 को कोई वसीयतनामा ही वादीगण के पक्ष में तहरीर किया है। श्रीमती भानमती का प्रतिवादी संख्या–04 दत्तक पुत्र है और प्रतिवाद संख्या–04 ने ही श्रीमती भानमती की मृत्यु के बाद उनका दाह–संस्कार क्रियाकर्म पिण्ड दान वगैरह पुत्र की हैसियत से सम्पन्न किया है।

06. अतिरिक्त जबाबुल जवाब कागज संख्या–87 क / 1 ता 87 क / 3 विरूद्धअतिरिक्त जबाबदेही प्रतिवादी संख्या–04 रोहित द्वारा प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी ॐ संख्या–04 महज बेइमानी करने की गरज से झूठ बोल रहा है। प्रतिवादी संख्या–04 द्वारा अपने जबाबदेही व संलग्न शपथ पत्र मे अपनी वल्दियत गलत दिया गया है तथा पता भी गलत दर्ज किया गया है, प्रतिवादी संख्या–04 न तो मुसई का लड़का है और न ही मौजा कोल्हुई का निवासी ही है। प्रतिवादी संख्या–04 हरगिज न तो मुसई के साथ रहता था और न ही मृतक श्रीमती भानमती के साथ ही रहता रहा, बल्कि सच्चाई यह है कि रोहित प्रतिवादी संख्या–04 अपने पिता रामराज के घर मौजा पैसिया ललाइन तप्पा लेहडा परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महराजगंज में रहता था और आज भी वही रहता है। प्रतिवादी संख्या–04 का नाम मौजा पैसिया ललाइन के वोटर लिस्ट में भी दर्ज है, लेकिन रोहित के पिता रामराज द्वारा फर्जी तरीके से वर्ष 2009 के वोटर लिस्ट में मकान नंम्बर–337 कम संख्या 2674 पर रोहित की वल्दियत रामराज न दर्ज कराकर बेचू दर्ज करवा दिया गया है। बेचू प्रतिवादी रोहित के पिता का पिता है अर्थात रोहित के बाबा लगते है। इस तरह प्रतिवादी संख्या–04 फ्राड पर फ्राड कर रहा है। मुसई के मृत्योपरान्त उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर वादीगण का मालिकाना कब्जा दखल वसीयतनामा के आधार पर चला आ रहा है, प्रश्नगत आराजी नम्बर–225 पर वादीगण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, और वादीगण स्वामित्वपूर्ण आधिपत्य मे खेत जोतते बोते चले आ रहे है प्रतिवादी संख्या–04 के पिता रामराज जाल फरेब करके कथित नुमाइशी गोदनामा धोखे से तहरीर करवा दिए है, जिसकी कोई बाध्यता वादीगण पर नहीं है और न ही कथित गोदनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या–04 को कोई विधिक हक व अधिकार ही मिलता है। वैसे भी मुसई अपने खुशीमन से समक्ष गवाहान वादीगण की सेवा– जतन से खुश होकर वसीयत तहरीर कर दिये थे, जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण आज तक उसके निरस्तीकरण का मुकदमा किसी भी सक्षम न्ययालय में दाखिल नहीं किये।

मुसई द्वारा वादीगण के पक्ष में तहरीर वसीयतनामा के आधार पर वादीगण का नाम विवादित सम्पत्ति पर बतौर वारिस संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात चला आ रहा है। श्रीमती भानमती का दाह संस्कार क्रियाकर्म, पिण्डदान वादीगण द्वारा दिया गया है, प्रतिवादी संख्या–04 क्रियाकर्म में शामिल शरीक होने तक नहीं आए प्रतिवादी संख्या–04 झूठ बोल रहा है, प्रतिवादिनी संख्या–01 का सेवा जतन देखभाल उनकी वृद्धावस्था मे वादीगण द्वारा किया गया। प्रतिवादी संख्या–04 के पिता महज प्रतिवादी संख्या–01 पर दबाव बनवाकर धोखे से उसकी निशानी अंगूठा लगवा लिए होगे। श्रीमती भानमती ने वादीगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 22.05.2012 को अपने खुशी मन से रूबरू गवाहान तहरीर की है, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या–04 व उसके पिता को शुरू से रही।

07. प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनाँक 22–01–1998 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किए गए:–

(1)– क्या मृतक मुसई के द्वारा कोई भी पंजीकृत गोदनामा निष्पादित नहीं किया गया है और प्रतिवादी संख्या–04 मृतक मुसई का व प्रतिवादी संख्या–01 का दत्तक पुत्र नहीं है?

(2) क्या सम्पत्ति विवादग्रस्त का वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में मृतक मुसई के द्वारा अपने जीवनकाल में कर दिया गया है, जिसके आधार पर मृतक मुसई की मृत्यु के उपरान्त वादी उसका मालिक काबिज है?

(3)–क्या वादी को कोई वाद कारण दावे का प्राप्त नहीं है?

(4)– क्या दावा वादी में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?

(5)– क्या दावा वादी धारा–5(2) सी. एच. एक्ट से बाधित है और वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

(6)– क्या दावा वादी धारा–34 एस. आर. एक्ट से बाधित है?

(7)– क्या वांदी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है

08. वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू.–1 के रुप में सुग्रीव, पी.डब्ल्यू.–2 के रुप में फूलचन्द्र, पी.डब्ल्यू.–3 के रुप में छोटेलाल व पी.डब्ल्यू.–4 के रुप में श्रीनिवास परीक्षित कराया गया है। वादीगण की तरफ से सूची 11 ग के माध्यम से छायाप्रति नकल खतौनी मौजा कोल्हुई कागज संख्या–12 ग, सूची 44 ग के माध्यम से नकल खतौनी मौजा कोल्हुई कागज संख्या–45 ग, जोत चकबन्दी आकार पत्र फार्म 23 (1) कागज संख्या–46 ग सूची 77 ग के माध्यम से पंजीकृत वसीयतनामा नाविस्ता भानमती बहक सुदामा, सुग्रीव दिनांकि 22–05–2012 कागज संख्या–78 ग/1 ता 78 ग/4 सूची 93 ग के माध्यम से अपंजीकृत वसीयतनामा नाविस्ता मुसई बहक वादीगण की प्रमाणित नकल कागज संख्या 94 ग/2, सवाल–जबाव कागज संख्या– 95 ग, जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग–1 कागज संख्या 96 ग/1 ता

96 ग/2, पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 22–02–2012 की मूलप्रति कागज संख्या–97 ग/1 ता 97 ग/ 4 दाखिल किया गया है तथा दस्तावेज सूची 178 ग के माध्यम से मूल वसीयतनामा द्वारा मुसई बहक सुदामा य सुग्रीव कागज संख्या – 180 ग, नकल वोटर लिस्ट कागज संख्या–181 ग, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पैसिया ललाईन कागज संख्या 182 ग, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम कोल्हुई कागज संख्या–183 ग दाखिल किया गया है। सूची 209 ग के माध्यम से नकल गोदनामा कागज संख्या– 210 ग/ 1 ता 210 ग/ 4, उद्धरण जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग–1 कागज संख्या–136 ग दाखिल किए गए हैं।

09. प्रतिवादीगण की तरफ से सूची 52 ग के माध्यम से फोटो कापी गोदनामा रजिस्ट्री दिनाक 16–05–1994 कागज संख्या 53 ग/1 ता 53 1/3, फोटो कापी नकल आदेश तहसीलदार फरेन्दा दिनांक 04–08–1995 कागज संख्या– 54 ग, फोटो कापी सुलहनामा दिनांक 09–11–1995 कागज संख्या–55 ग, फोटो कापी आदेश दिनांक 14–09–1994 तहसीलदार महोदय फरेन्दा कागज सैंख्या 56 ग, फोटो कापी तहसीलदार फरेन्दा पत्रांक संख्या–11(1) रा. लि./ दिनाकित नवम्बर 14, 1995 दाखिल किया गया है तथा सूची 119 ग के माध्यम से फैसला चकबन्दी अधिकारी फरेन्दा की पानी नकल दिनांक 05–08–2021 कागज संख्या 120/1 ता 1207/6 सूची 126 ग के माध्यम से पानी नकल आदेश दिनांक 05–08–2021 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी फरेन्दा, महराजगंज रोहित बनाम सुदामा वाद संख्या–142/20–21 धारा–09 क (2) अन्तर्गत जो. च. अधिनियम 1953 कागज संख्या–127 ग/ 1 ता 127 16 दाखिल किया गया है तथा सूची 126 ग के माध्यम से पक्की नकल आदेश दिनांक 05–08–2021 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, फरेन्दा, महराजगंज रोहित बनाम सुदामा वाद संख्या–142 धारा–9 क (2) जोत चकबन्दी अधिनियम कागज संख्या–127 1/1 ता 127 1/6 दाखिल किया गया है तथा सूची 130 ग के माध्यम से पानी नकल आदेश दिनांक 24–06–2022 न्यायालय उप संचालक चकबन्दी महराजगंज निगरानी संख्या 415/2022 अन्तर्गत धारा 48 जो. च. अधिनियम सुदामा आदि बनामा उर्मिला आदि कागज संख्या–131 ग/1 ता 131/3 दाखिल किया गया है तथा सूची 194 ग के माध्यम से रसीद सम्पूर्ण समाधान दिवस कागज संख्या–195 ग, छायाप्रति पत्रांक संख्या–1708/ आई. जी. आर. एस. 2023–24 कागज संख्या–196 ग, तहसील दिवस शिकायत संख्या–3009462400274 की छायाप्रति कागज संख्या–107 ग, परिवार रजिस्टर की नकल की छायाप्रति 198 ग व 199 ग, पत्रांक संख्या–1751 के आदेश की छायाप्रति कागज संख्या– 200 ग, छायाप्रति दिनांक 15–03–2024 कागज संख्या–201 ग, पंचायत राज नियमों के अधीन रूप पत्र क कागज संख्या–202 ग, परिवार रजिस्टर की नकल वर्ष 1970–1971 कागज संख्या–203 ग, सत्य प्रतिलिपि परिवाज रजिस्टर कागज संख्या–204 ग दाखिल किया गया है।

10. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात प्रश्नगत निर्णय पारित करते हुए तत्कालीन विद्वान् विद्वान सिविल जज, (अवर खण्ड), फरेन्दा, जिला महराजगंज द्वारा दावा वादीगण मूल वाद संख्या–445/1994 सुदामा आदि बनाम श्रीमती भानमती आदि निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

11. उक्त आदेश के निर्णय के विरुद्ध वादी/अपीलार्थी की तरफ से यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि "फैसला व डिग्री अदालत मातहत सरासर गलत व खिलाफ कानून व वाक्यात के है, इसलिए निरस्त होने योग्य है। फैसला व डिग्री अदालत मातहत परवर्स व कयासी है, इसलिए निरस्त होने योग्य है। वादीगण/अपिलान्ट के बड़े पिता मुसईव बड़ी माता भानमती रही है। मुसई ने अपने जीवन काल में ही अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का वसीयत समक्ष गवाहान वादीगण/अपिलान्ट के हक में तहरीर किया है और वादीगण/अपिलान्ट उनके देहान्त के बाद से ही उनके समस्त जायदाद पर बतौर स्वामी काबिज दखिल चले आ रहे है। उक्त तथ्य सहादत मिसिल से बखूबी साबित है। मगर उसे नजरअन्दाज करते हुए अदालत मातहत ने प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है। मुसई व उनकी पत्नी भानमती ने कभी कोई गोदनामा रोहित के हक में तहरीर नही किया और न ही रोहित को गोद लिया। गोदनामा के बावत कोई कार्यवाही मुसई व भानमती के द्वारा नहीं किया गया। तथाकथित गोदनामा बिल्कुल गलत व एक शून्य दस्तावेज है। उक्त तथ्य सहादत मिसिल से बखूबी साबित है. मगर उसे न मानते हुए अदालत मातहत ने प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है। यह कि मुसई की विधवा भानमती प्रतिवादिनी संख्या–1 ने कागज नं0–67 ग से स्वयं वादीगण को वसीयत लिखे जाने व प्रश्नगत जायदाद पर वादीगण अपिलान्ट का कब्जा होना तथा उनका सेवा वादीगण द्वारा किया जाना स्वीकार किया है और रोहित को गोंद लिये जाने व तथाकथित गोदनामा तहरीर होने से इन्कार किया है। उक्त कागज नं0–67 ग पत्रावली में मौजूद है, मगर अदालत मातहत ने उसे नजरअन्दाज करते हुए बिल्कुल निराधार रूप से प्रश्नगत फैसला व डिग्री पारित कर दिया है। सहादत मिसिल में उपलब्ध जबानी व दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीगण अपिलान्ट का केस पूर्णतः साबित है, मगर उसे न मानते हुए अदालत मातहत ने वादीगण का वाद निरस्त कर दिया है। सहादत मिसिल से हरगिज रोहित को गोद लिये जाने व उसके हक में गोदनामा तहरीर होना साबित नहीं है। मगर उसको मानते हुए अदालत मातहत ने कानूनी गलती किया है। अदालत मातहत ने बिना पत्रावली का सम्यक अध्ययन किये ही प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर पारित कर दिया है। मुसई के देहान्त के बाद कागजात माल में वादीगण का नाम मुसई के अराजियात पर दर्ज हो गया, जिसके दस्तावेजी साक्ष्य मूल पत्रावली में संलग्न है, मगर उस पर कोई ध्यान न देते हुए अदालत मातहत ने प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया। यह कि फरीकैन के बीच टाईटिल वाद अभी भी राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है,

जिसमें स्वामित्व का निर्धारण होना है। गोदनामा लिये जाने में हिन्दू विधि विधान के अनुसार बहुत जारी अनुष्ठान को सम्पन्न किया जाना आवश्यक है। मगर तथाकथित गोदनामा के बावत कोई अनुष्ठान नहीं हुआ। इससे भी गोदनामा की झुठाई साबित होती है। अदालत मातहत का फैसला व डिग्री हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है तथा दावा वादी स्वीकार होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि फैसला व डिग्री अदालत मातहत दिनाँक 04.03.2025 ई० न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड फरेन्दा महराजगंज व मुकदमा नम्बरी 445/1994 सुदामा आदि बनाम भानमती आदि निरस्त किया जावे तथा दावावादीगण अपीलान्ट सब्यय डिग्री किया जावे।"

12. अपीलार्थीगण के अपील पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस प्रेषित की गयी, जिस पर वे उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से कोई भी आपत्ति/लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की व प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

14. अपील के स्तर पर अपीलार्थीगण की ओर से कागज संख्या–28ग से 29ग मृत्यु प्रमाणपत्र भानमती, 30ग नकल आकार पत्र 23 भाग 1, 31ग से ग्राम पंचायत पसिया ललाईन में दुकानों के आवंटन की सूची, 32ग से फोटोकापी राशन कार्ड, 33ग प्रधानमंत्री रोजगार योजना का फार्म एवं 34ग माननीय उच्च न्यायालय का स्थनग आदेश दाखिल किया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था (i)–MANOJ KUMAR GUPTA, Versus Aadil Ahmad Khan & Anr. (2015(3) JCLR 816 (All), (ii)–Shree Ram Gupta Versus Shafiqur Rahman & Ors. [2010(2) JCLR 29 (All)] & (iii)–Raj Kumar Mulani Versus Ramesh Kumar Hemrajani (2020(2) JCLR 821 (All) प्रस्तुत की गयी हैं।

15. प्रत्यर्थीगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था (i)–Gorakh Rai Versus Civil Judge, Azamgarh & Ors. (2006(2) JCLR 383 (All), (ii)–Arun Kumar & Anr. Versus Dev Shankar & Ors. (2005(2) JCLR 309 (All), (iii)–Smt. Nirmala Devi Versus Smt. Chandrawati Devi & Ors. (2006(1) JCLR 512 (All) & (iv)–Mata Prasad Singh @ Dippu Singh & Anr. Versus Anjani Kumar Tewari & Anr. 2009(1) JCLR 153 (All) प्रस्तुत की गयी हैं।

16. सुविधा की दृष्टि से आगे हम पक्षकारों को मूलवाद में उनकी प्रस्थिति के आधार पर संबोधित करेंगे। अपीलार्थीगण को प्रतिवादी एवं उत्तरदाता को वादी कहा जायेगा।

17. प्रस्तुत प्रकरण में केवल अपीलार्थीगण ने ही अपील को चुनौती दी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील के किसी निष्कर्ष को मौखिक या लिखित रूप से चुनौती नहीं दी गयी है। इसलिये यह माना जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण अपील के समस्त निष्कर्षों से सहमत हैं। मात्र अपीलार्थीगण द्वारा ही जिन बिन्दुओं प्रश्नगत निर्णय का विरोध किया गया है उन बिन्दुओं के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा जिन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना है, वे इस प्रकार हैः–

(1)–क्या रोहित गोदनामा दिनाकिंत 16.05.1994 के आधार पर मुसई और भानमती का दत्तक पुत्र है?

(2)–क्या वादीगण वसीयतनामा दिनांकित 21.04.1994 के आधार पर विवादित सम्पत्ति के स्वामी व अध्यासी हैं

(3)–क्या वादीगण को कोई अनुतोष दिया जा सकता है?

<u>निस्तारण बिंदु संख्या–01</u>

18. यह बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या रोहित गोदनामा दिनाकिंत 16.05.1994 के आधार पर मुसई और भानमती का दत्तक पुत्र है? इस सम्बन्ध में वादीगण का कहना है कि गोदनामा दिनांकित 16.05.1994 एक फर्जी दस्तावेज है, जिसे मुसई द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। किन्तु प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह दलील दी गयी है कि यह गोदनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है। और पंजीकृत प्रलेख के संबंध में यह धारणा की जाती है कि वह सही होगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Hemlatha (D) by LRS. v Tukaram(D) by LRS 2026 INSC 82** में अवधारित किया है कि It is a settled position of law that a registered Sale Deed carries with it a formidable presumption of validity and genuineness. Registration is not a mere procedural formality but a solemn act that imparts high degree of sanctity to the document. Consequently, a Court must not lightly or casually declare a registered instrument as a "sham"............ this Court reiterates that the burden of proof to displace this presumption rests heavily upon the challenger. Such a challenge can only be sustained if the party provides material particulars and cogent evidence to demonstrate that the Deed was never intended to operate as a bona fide transfer of title.

19. वादी पक्ष ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पत्रावली पर 67 ग एक शपथपत्र है, जिसमें प्रतिवादिनी भानमती ने इस बात को कहा है कि उसने गोदनामे पर गोदनामा समझ कर दस्तख़त नही किया था और रोहित पुत्र रामराज मुसई का पुत्र न था और न ही है। इसी प्रकार पत्रावली पर एक सुलहनामा काग़ज़ सं. 75 ग मौजूद

है जो प्रतिवादिनी भानमती एवं वादीगण के हस्ताक्षरों से युक्त है। इस सुलहनामे में गोदनामे की सत्यता को नकारा गया है। जहां तक कागज संख्या 67 ग का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि उक्त शपथपत्र पर प्रतिवादिनी भानमती का हस्ताक्षर का मिलान नहीं किया गया है। मैं प्रतिवादी पक्ष के इस तर्क में बल पाता हूं कि हस्ताक्षर मिलाये बिना शपथपत्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। किन्तु सुलहनामा 75 क की स्थिति इससे भिन्न है। उक्त सुलहनामे पर प्रतिवादिनी के हस्ताक्षर का सत्यापन अधिवक्ता द्वारा बाक़ायदे किया गया है। ऐसे में यह मानने की कोई वजह नहीं है कि इस सुलहनामे में कहीं गयी बाते प्रतिवादिनी भानमती का ही कथन है।

20. साक्ष्य अधिनियम की धारा–17 कहती है कि An admission is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons, and under the circumstances, hereinafter mentioned. इसी प्रकार इसी अधिनियम की धारा 18 कहती है कि Statements made by a party to the proceeding, or by an agent to any such party, whom the Court regards, under the circumstances of the case, as expressly or impliedly authorized by him to make them, are admissions. इस सम्बन्ध में मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय **Ajodhya Prasad Bhargava vs Bhawani Shanker Bhargava And Anr. AIR1957ALL1,** में अवधारित किया है कि –An admission of the opposite party to the proceeding may be produced for the purpose of proving a party's own case. It is the best evidence which can be produced in proof of the party's case, and although the proof of such admission is not conclusive against the opposite party, nevertheless it is such strong evidence of the facts admitted that the burden of proving the contrary is upon the party making the admission. He can do this only when he gives a satisfactory explanation that the admission was wrong or made under circumstances which render it "unfit to be relied upon. A duty is cast upon him to offer an explanation of the circumstances under which a wrong admission was made. If he does not offer an explanation the burden is not discharged.उक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में सुलहनामे में प्रतिवादिनी के कथन को एक संस्वीकृति माना जा सकता है और यदि गोदनामे के निष्पादनकर्ता ही इस बात की संस्वीकृति कर रही है कि गोदनामा अवैध नहीं है तो गोदनामे की वैधता और औचित्य का तर्क बेहद कमजोर हो जाता है।

21. यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी पक्ष ने गोदनामे की मूल प्रति नहीं प्रस्तुत की है। उनके द्वारा गोदनामे की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गयी है। यह निश्चित

रुप से द्वितीयक साक्ष्य है और द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–65 उन परिस्थितियों का उपबन्धन करती है जब कि द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मूल गोदनामे की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गयी है और इसे प्रस्तुत करने में उक्त धारा 65 का अनुपालन नहीं किया गया है। यह एक स्वाभाविक तथ्य है कि गोदनामा प्रतिवादी पक्ष के पास होना चाहिए क्योंकि वे गोदनामे के पक्षकार हैं। किन्तु उनके द्वारा गोदनामे की मूल प्रति प्रस्तुत न किया जाने से उनके प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Union of India vs Ibrahim Uddin & Anr. [2013 (1) PLJR (SC) 49]** में प्रतिपादित किया है कि Generally, it is the duty of the party to lead the best evidence in his possession, which could throw light on the issue in controversy and in case such material evidence is withheld, the Court may draw adverse inference under Section 114(g) of the Evidence Act notwithstanding, that the onus of proof did not lie on such party and it was not called upon to produce the said evidence. इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष के द्वारा गोदनामे की मूल प्रति न प्रस्तुत किया जाना उसके केस को सन्देहास्पद बनाता है।

22. इस संबंध में वादी पक्ष ने ध्यान दिलाया है कि डी.डब्ल्यू. –1 दुलारी उर्फ कोइली ने, जो कि रोहित की जैविकीय मां है, अपनी जिरह में कहा है कि "रोहित पैसिया ललाइन में जन्में थे। इसलिये 2010 के पंचायत निर्वाचन में पैसिया ललाइन पंचायत में नाम अंकित होगा। 2010 के पंचायत निर्वाचन में रोहित के पिता का नाम बेचू नहीं रामराज लिखा हुआ था।" वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इस कथन को इंगित करते हुए कथन किया है कि उसके जैविकीय पिता के गांव के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना और उसके पिता का नाम रामराज दर्ज होना यह दर्शाता है कि इस कथित गोदनामे का कभी अमलीकरण नहीं हुआ। इसी प्रकार डी.डब्ल्यू.2 उर्मिला की, जो रोहित की विधवा है, जिरह की ओर ध्यान दिलाया गया है। इस गवाह ने कहा है कि "मैं इस समय पैसिया में किराये पर रहती हूँ। कोल्हुई में लगभग 4 साल से नहीं रह रही हूँ।" वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह ध्यान दिलाया गया है कि गोदनामे में अमलीकरण हुआ होता तो यह अपने ससुराल में रहती न कि अपने पति के जैविकीय पिता के गाँव में। इस गवाह के कथन में कुछ और भी बाते महत्वपूर्ण है एक तरफ यह कहती है कि *उसकी शादी भानमती ने की थी* तो दूसरी तरफ वह कहती है कि *उसे गोद लिये जाने की जानकारी रोहित के जैविकीय पिता ने दी* । यह बात विचित्र सी प्रतीत होती है कि जब वह भानमती के साथ रहती थी तो भानमती ने उसे गोद लिये जाने की जानकारी क्यों नहीं दी और किस प्रकार उसे रोहित के जैविकीय पिता ने यह जानकारी दी। इससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित और उसका परिवार अपने जैविकीय पिता के साथ रहता था न कि भानमती के साथ।

23. पत्रावली पर कागज संख्या–181 ग वोटर लिस्ट दाखिल की गयी है, जिसमें रोहित की पत्नी उर्मिला को पैसिया ललाइन के वोटरलिस्ट में दिखाया गया है। कागज संख्या–182 ग परिवार रजिस्टर की नकल है। जिसमें रोहित को पैसिया ललाइन के रामराज के बेटे के रुप में दिखाया गया है। कागज संख्या–183 ग कोल्हुई का परिवार रजिस्टर है, जिसमें रोहित और उर्मिला का नाम काटकर लिखा गया है, वे यहाँ निवास नहीं करते हैं, इनका कोई मकान नहीं है और ये भानमती के परिवार के नहीं हैं। इसी प्रकार कागज संख्या–204 ग कोल्हुई गाँव का परिवार रजिस्टर है, इसमें भानमती को मृतक दिखाया गया है, जिसमें *रोहित और उर्मिला का नाम काटकर लिखा गया है, वे यहां निवास नहीं करते हैं, इनका कोई मकान नहीं है और ये भानमती के परिवार के नहीं हैं।*

24. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गोदनामे की निष्पादनकर्ता भानमती ने ही उसे गलत ठहरा दिया है, गोदनामे की असली प्रति प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि गोदनामे का अमलीकरण नहीं हुआ। स्पष्ट रुप से इस गोदनामे को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इस संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है वह विधि और तर्क से परे है और उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। इस प्रकार यह बिन्दु वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विपक्ष में निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण बिंदु संख्या–02

25. यह बिंदु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वसीयतनामा दिनांकित 21.04.1994 के आधार पर विवादित सम्पत्ति के स्वामी व अध्यासी हैं? इस संबंध में वादी पक्ष की ओर से वसीयतनामे की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है और वसीयतनामे के समर्थन में 2 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। ये गवाह कथित रुप से हाशिये के गवाह हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से इन गवाहों के विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। इस संबंध में ध्यान दिलाया गया है कि पी.डब्ल्यू.3 छोटेलाल ने अपनी जिरह में कहा गया है कि वसीयतनामा न तो उसको सुनाया गया है और न ही उसके सामने लिखा गया है। ऐसी स्थिति में इस गवाह को वसीयत का साक्षी नहीं माना जा सकता। किन्तु हमे ध्यान रखना चाहिये कि अनुप्रमाणक साक्षी केवल इस बात के साक्षी होते हैं कि वसीयतकर्ता ने ही वसीयतनामे पर ही दस्तखत किया है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू–2 फूलचन्द्र के संबंध में ध्यान दिलाया गया है, यह गवाह कहता है कि वसीयतनामा स्टैम्प पर लिखा गया है जबकि वसीयतनामा पर कोई स्टैम्प पेपर नहीं लगा है। साथ ही पी. डब्ल्यू. –3 के उस साक्ष्यांश की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें उसने कहा है कि पी.डब्ल्यू–3 घटना स्थल पर पी.डब्ल्यू–2 के साथ आया तो यह किस प्रकार संभव है कि पी.डब्ल्यू–2 के सामने बोलकर वसीयत लिखी गयी और पी.डब्ल्यू–3 के सामने

नहीं लिखी गयी। किन्तु हमे ध्यान रखना चाहिये घटना के काफी समय बाद ये गवाहियां हो रही हैं और इतने समय में स्मृतिह्रास से घटनाओ के विवरण में भिन्नता आना स्वाभाविक है।

26. प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह भी ध्यान दिलाया गया है कि वादीगण के आचरण वसीयत पर संदेह प्रकट करता है। यदि वादीगण के पास वसीयत थी तो उन्होंने तेरही होने से पूर्व ही प क 11 के अन्तर्गत क्यों स्वयं को मुसई के वारिसों के रुप में दर्ज करा लिया। इस संबंध में वादी पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है वादीगण विधिक रुप से इतने जागरुक नहीं थे कि वे सही रुप से कानूनी प्रक्रिया का अवलम्बन लेते। अल्पविधिक राय से प्रेरित होकर उन्होंने यह कार्य कर डाला और उसके आधार पर उनके आचरण को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये। प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया है वादीगण ने बाद में भानमती की भी नक़ली वसीयत बनायीा और इससे पता चलता है कि कि प्रतिवादी पक्ष की नीयत साफ़ नहीं थी। वादीगण का यह कहना है कि वादीगण ने प क 11 के माध्यम से मुसई की सम्पत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की और बाद में अपने इस अपकृत्य को विवेकीकृत करने के लिये पूर्व तारीख़ में में फर्जी वसीयत तैयार की। मैं प्रतिवादी के इस मत से सहमत नहीं हूं क्योंकि वादीगण को मुसई की जमीन को हड़पने की योजना होती तो उन्होंने इसकी वसीयत पहले तैयार कर ली होती और प क 11 से अपना नाम चढ़वाना उनकी दुष्टता का द्योतक नहीं वरन् उनकी विवेकहीनता का द्योतक है। स्पष्टतः वादीगण वसीयत साबित करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। तदनुसार यह बिन्दु वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण बिंदु संख्या–03</u>

27. यह बिंदु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण को कोई अनुतोष दिया जा सकता है? चूंकि वादी पक्ष यह सबित करने में सफल रहा है, कि वे विवादित भूमि के स्वामी है और कथित गोदनामा विधि सम्मत नहीं है। इसलिये गोदनामा दिनांकित 16.05.1994 निरस्त किया जाना विधि सम्मत है। तदनुसार यह बिन्दु वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत सिविल अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। और विद्वान सिविल जज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.03.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

28. अपीलार्थीगण **सुदामा** एवं **सुग्रीव** द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील संख्या–07/2025 स्वीकार की जाती है। सिविल जज, (अवर खण्ड), फरेन्दा, जिला महराजगंज द्वारा मूल वाद संख्या–445/1994, सुदामा आदि बनाम भानमती आदि में पारित आदेश दिनांकित 04.03.2025 निरस्त किया जाता है। तदनुसार गोदनामा

दिनांकित 16.05.1994 निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है वे विवादित आराजी संख्या–255 रकवा 0.553 हे0 एयर स्थित मौजा निजाई पर किसी किस्म का न तो कब्जा करे और न वादीगण के कब्जा दखल में कोई अवरोध ही उत्पन्न करे। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

29. इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, फरेन्दा, जिला महराजंगज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली मय मूल अभिलेख विचारण न्यायालय को वापस भेजी जाये।

05.08.2026

(संजय मिश्र)
आई0डी0 नं0 यूपी–6257
अपर ज़िला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1,
महराजगंज।

30. उक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व उद्घोषित किया गया।

05.08.2026

(संजय मिश्र)
आई0डी0 नं0 यूपी–6257
अपर ज़िला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1,
महराजगंज।